08-7-2025	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल कैलाश कुमार पुत्र भुबाराम, जाति– मेघवाल, निवासी– गोयली, पुलिस थाना सिरोही सदर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से वकील श्री उमेश कुमार प्रजापत ने जरिये वकालतनामा उपस्थिति दी। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर जुर्म/आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील की बहस सुनी गई। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि गैरसायल ने गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में ट्रायल से बचने के लिये लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने के कारण गैरसायल को न्यायालय ने दोष सिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 12–01–2023 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। गैरसायल ने कभी शांतिभंग नही की है। गैरसायल गरीब व्यक्ति है जो मजदूरी कर अपना गुजारा कर रहा है। गैरसायल वर्तमान में किसी भी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है। गैरसायल ने कभी भी शांति भंग नही की है, इसलिये गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे। ......लगातार	कैलाश कुमार 8/7/25 पहचानकर्ता उमेश कुमार

न्यायालय प्रति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

प्रा०. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.